



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 1991/कार्तिक 15, 1913

No. 663] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 1991/KARTIKA 15, 1913

इस भाग से भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और महकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1991

का. प्रा. 767(अ) :—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966(1966 का 54) की धारा 6 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों के अधिधान पर नगार्ण जाने वाले चिह्न या लेबल के आकार, अंतर्वस्तु, रंग को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(1) चिह्न या लेबल की लंबाई और चौड़ाई 15×10 सें.मी. होगी।

(2) चिह्न या लेबल की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित जानकारी अंतर्दिष्ट होगी, अर्थात् :—

- (1) लेबल सं. _____
- (2) प्रकार _____
- (3) किस्म _____
- (4) लाट सं. _____
- (5) परीक्षण की तारीख, मास और वर्ष _____
- (6) _____सक विधिमान्य
- (7) अंकुरण (न्यूनतम) _____प्रतिशत
- (8) भौतिक शुद्धता (न्यूनतम) _____प्रतिशत
- (9) आनुवंशिक शुद्धता (किस्म की वशा में) (न्यूनतम) _____ प्रतिशत
- (10) भार _____

(11) :- *बीज अभिक्रियाव्ययन के लिये प्रयोग किए गए रसायन का नाम, यदि बीज अभिक्रियित है।

(12) ऐसे व्यक्ति का नाम और पता, जो बीज के विक्रय की प्रस्थापना करता है, विक्रय करता है या अनुरोध प्रदान करता है।

टिप्पण : (क) :-* यदि बीज अभिक्रियित किया जाता है, सब लेबल पर निम्नलिखित कथन भी मुद्रित किया जाएगा :—

यदि अभिक्रियाव्ययन के लिए प्रयोग किए गए और बीज के साथ मिले हुए रसायन पदार्थ मनुष्यों या अन्य कशेरु की पशुओं के लिए हानिकारक है तो उस पर एक चेतावनी कथन जैसे कि खाद्य, चारा या तेल के प्रयोजन के लिये प्रयोग नैत कीजिए, होगा। पारदीय और समरूप विरले पदार्थ के लिये चेतावनी "विष" शब्द होगा जो लेबल पर टाइप आकार में प्रमुख रूप से लाल रंग में प्रदर्शित होगा।

(ख) यदि लेबल, लेबल से छोटे आकार पर लथाया जाना है तो उसे समानुपातिक रूप से छोटा करना होगा। तथापि, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तथा अंतर्वस्तु बही रहेगी।

(3) रंग ओपेल हरा (आई एस सं. 275) से मिलता-जुलता होना चाहिए।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. 17-4/91-एस डी-IV]

मालती एस. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1991

S.O. 767(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consul-

tation with the Central Seed Committee, hereby specifies the size, contents, colour, mark or label to be affixed on the container of the seeds of notified kind or variety, namely :—

(1) The length and breadth of the mark or label shall be 15×10 cm.

(2) The contents of the mark or label shall contain the following informations, namely :—

- | | |
|---|---|
| (i) Label No..... | |
| (ii) Kind..... | |
| (iii) Variety..... | |
| (iv) Lot No..... | |
| (v) Date, month and year of test..... | |
| (vi) Valid upto..... | |
| (vii) Germination (Minimum) | % |
| (viii) Physical Purity (Minimum) | % |
| (ix) Genetic Purity (in case of variety) (Minimum) | % |
| (x) Weight..... | |
| (xi) *Name of the chemical used for seed treatment, if seed is treated. | |
| (xii) Name and address of the person who offers for sale, sells or otherwise supplies the seed. | |

Note : (a) *If seed has been treated, the following statement shall also be printed on the label :

If the substance of the chemical used for treatment, and present with the seed is harmful to human beings or other vertebrate animals, a caution statement such as "Do not use for food, feed or oil purposes." The caution for mercurials and similarly toxic substance shall be the word "POISON" which shall be in type size, prominently displayed on the label in red.

(b) If label is to be affixed on a smaller container than the size of the label, it may be reduced proportionately. However, the length and breadth ratio and contents shall remain the same.

(3) The colour should resemble with opel green (IS No. 275).

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

[No. 17-4/91-S.D. IV]
MALTI S. SINHA, Jt. Secy.